न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 11/2021 अर्न्तगत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

स्टेट जरिये विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

बबलू पुत्र श्री सुलतान नाथ निवासी 99 आर.डी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अप्रार्थी

उपस्थितः–1. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.।
2. श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अप्रार्थी।

निर्णय दिनांकः–12.06.2024

राजस्थान राज्य जरिये विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.03.2021 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ हमराह विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी का कार्यालय हाजा ग्राम 99 आर० डी० तहसील रावतसर स्थित मैसर्स बबलु टेलर्स की दुकान में पेट्रोल व डीजल का अवैध भण्डारण एवं बेचान की सूचना पर उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित दुकान मालिक बबलु की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 200 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी तथा 4 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल, 4 लोहे के विभिन्न माप के नाप, 2 प्लास्टिक कीप, 1 हस्तचलित पम्प एवं पेट्रोल–डीजल बिक्री का हिसाब लिखा रजिस्टर मिला। मौके पर पाये गया सामान दुकान में पेट्रोल व डीजल के विक्रय, कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर बबलू द्वारा उनके पास पेट्रोल व डीजल विक्रय कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर पाये गये 200 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी तथा 4 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल, 4 लोहे के विभिन्न माप के नाप, 2 प्लास्टिक कीप, 1 हस्तचलित पम्प एवं पेट्रोल–डीजल के हिसाब लिखा रजिस्टर के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 200 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी या 4 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बोतल, 4 लोहे के विभिन्न माप के नाप, 2 प्लास्टिक कीप, 1 हस्तचलित पम्प एवं पेट्रोल–डीजल बिक्री का हिसाब लिखा रजिस्टर को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री सुशील कुमार पुत्र श्री सुल्तान नाथ उम्र 35 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम 99 आर० डी० तहसील रावतसर की सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार श्री बबलु पुत्र श्री सुल्तान नाथ निवासी 99 आर० डी० तहसील रावतसर द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वैग डीजल प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लघंन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए प्रस्तुत कर उक्त 200 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी तथा 4 लीटर पेट्रोल

मय 4 प्लास्टिक बौतल, 4 लोहे के विभिन्न माप के नाप, 2 प्लास्टिक कीप, 1 हस्तचलित पम्प को राजसात करने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा डीजल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 12.04.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित तथ्य कि अप्रार्थी से दिनांक 15–2–2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा प्रार्थी की दुकान मैसर्स बबलू टेलर से जब्त करने की कार्यवाही द्वेषता पूर्ण की गई है जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी द्वारा अपनी घरेलु जरूरत हेतु उक्त डीजल व पैट्रोल घर में रखा हुआ था। अप्रार्थी द्वारा कोई अवैध डीजल पेट्रोल का भण्डारण नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित तथ्य गलत व मिथ्या अंकित होने से अस्वीकार है। उक्त कार्यवाही जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रार्थी से आवास से की गई है। प्रार्थी के धारण व राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से तुच्छ मात्रा में पैट्रोलियम पदार्थ को जिला रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर जब्त की गई है जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। मन अप्रार्थी डीजल पैट्रोल का कारोबार ना कर काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। यदि किसी अवैध कारोबार में कोई कार्यवाही की जाती है तो उससे पूर्व बोगस ग्राहक से खरीद आदि करवाकर कार्यवाही की जाती है परन्तु जिला रसद अधिकारी ने द्वेषता पूर्वक कार्यवाही की है जो अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित तथ्य मिथ्या अंकित होने से अस्वीकार है। जिला रसद अधिकारी ने बिना किसी आधार के प्रार्थी को अवैध डीजल पैट्रोल विक्रय करने का दोषी मानकर अवैध कार्यवाही की जो काबिल खारिजी के है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 मे अंकित तथ्य गलत एवं निराधार अंकित होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी के घर से केवल मात्र 200 लीटर डीजल व 4 लीटर पैट्रोल तथा प्लास्टिक की कैनी व तेल डालने के काम आने वाली कीप व तेल निकालने का पम्प जब्त किया है। जो ग्रामीण क्षेत्र कृषि उपयोग हेतु हर घर मे आवश्यक चीजें है। उन वस्तुओ को अवैध मानकर कार्यवाही की है जो विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी के है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 मे अंकित तथ्य गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है मुझ अप्रार्थी ने किसी भी नियम अथवा कानून का उल्लंघन नही किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर अप्रार्थी से जब्त शुदा पैट्रोलियम पदार्थ व अन्य सामान मुझ अप्रार्थी को सौंपने के आदेश फरमाये जावे।

बहस सुनी गयी। अप्रार्थी ने कथन किया कि जबाव ही उसकी बहस है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण कर बिक्री का कार्य करते पाये जाने पर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा डीजल एवं पेट्रोल को ड्रम व बिक्री का हिसाब लिखा रजिस्टर के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध डीजल–पेट्रोल रखना व विक्रय करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल एवं पेट्रोल मय प्लास्टिक के ड्रम, कैनी व लोहे की कैनी व लोहे के विभिन्न नाप आदि को राज्य पक्ष में राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में बताया है कि अप्रार्थी की दुकान मैसर्स बबलू टेलर से जब्त करने की कार्यवाही द्वेषता पूर्ण की गई है जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी द्वारा अपनी घरेलु

जरूरत हेतु उक्त डीजल व पैट्रोल घर में रखा हुआ था। अप्रार्थी द्वारा कोई अवैध डीजल पेट्रोल का भण्डारण नहीं किया गया। उक्त कार्यवाही जिला रसद अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के आवास से की गई है। प्रार्थी के धारण व राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा से तुच्छ मात्रा में पैट्रोलियम पदार्थ को जिला रसद अधिकारी द्वारा कार्यवाही कर जब्त की गई है जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध जांच दल की फर्द जांच का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया 200 लीटर डीजल व 4 लीटर पेट्रोल मय बिक्री का हिसाब लिखा रजिस्टर अप्रार्थी की दुकान से ही जब्त करना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव के साथ ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रश्नगत डीजल एवं पेट्रोल उसकी दुकान से जब्त नहीं हुआ है। अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव में जो कथन किये गये है वे After Thought होने के कारण मानने योग्य नहीं है। अप्रार्थी से जांच के समय जिला रसद अधिकारी, हनुमागढ़ द्वारा लोहे के 4 माप व 1 हस्तचालित पम्प भी जब्त किये गये हैं। एक और तो वाणिज्यिक परिसर से जब्ती दूसरा माप आदि रखना आदि तथ्य सिद्ध करते है कि अप्रार्थी डीजल का उपयोग स्वयं के कृषि कार्य हेतु नहीं करता, इसके अलावा अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वक्त निरीक्षण डीजल एवं पेट्रोल जब्ती, कोई बिल लाईसेंस व परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी (स्टेट) का स्वीकार किया जाता है। 200 लीटर डीजल मय 1 प्लास्टिक ड्रम व 2 प्लास्टिक कैनी तथा 4 लीटर पेट्रोल मय 4 प्लास्टिक बौतल, 4 लोहे के विभिन्न माप, 2 प्लास्टिक कीप, 1 हस्तचलित पम्प को न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 12.04.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़